रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276956
CG-DL-E-08102026-276956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 800] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948
No. 800] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 871(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 440 के साथ पठित धारा 553 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 2026 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छटवा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. आय-कर नियम, 2026 में,-

(क) नियम 231 में, “अधिरोपण” शब्द के पश्चात् “या अधित्यजन” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) प्ररूप संख्या 161 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप संख्या 161

[नियम 231 देखें]

आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 440(2) के अधीन शास्ति के अधित्यजन के लिए आवेदन

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी					
1 .	नाम			*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2 .	स्थायी खाता संख्या				
3.	पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
4.	सम्पर्क ब्यौरे				
	(i)	मोबाइल नंबर		कंट्री कोड	संख्या
	(ii)	ईमेल पता			
भाग ख: निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश और संदाय के ब्यौरे					
5 .	कर वर्ष				
6 .	वह धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया				
7 .	आदेश की दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन)				
8 .	आदेश की तारीख			*दिन/मास/वर्ष*	
9 .	आदेश की सेवा की तारीख			*दिन/मास/वर्ष*	
10.	मांग नोटिस के अनुसार संदाय की देय तारीख			*दिन/मास/वर्ष*	
11.	निर्धारित आय				
12.	कम रिपोर्ट की गई आय				
	(क)	निम्नानुसार गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप			
		(i)	धारा 439(11)(क) से (च)		
		(ii)	धारा 439(11)(छ)		
	(ख)	गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप नहीं			
13.	निर्धारित आय पर संदेय कर और ब्याज(मांग नोटिस के साथ संगणन शीट का निर्देश लें)				
14.	कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर(अधिनियम की धारा 439(12) का निर्देश लें)				
	(i)	क्रम सं. 12(क)(i) में निर्दिष्ट रकम पर			
	(ii)	क्रम सं. 12(क)(ii) में निर्दिष्ट रकम पर			
15.	अतिरिक्त संदेय आय-कर(शास्ति के बदले में)				
	(i)	14(i) का 100%			
	(ii)	14(ii) का 120%			
	(iii)	कुल अतिरिक्त आय-कर [(i)+(ii)]			
16.	शास्ति के अधित्यजन के लिए संदेय कुल रकम[13+15(iii)] (अधिनियम की धारा 440(1) का निर्देश लें)			*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
17.	संदत्त रकम का ब्यौरा				
	(क)	(i)	बीएसआर कोड		

		(ii)	जमा करने की तारीख	*दिन/मास/वर्ष*
		(iii)	चालान की क्रम संख्या	
		(iv)	रकम	
	(ख)	(दोहराएँ, यदि अपेक्षित हो)		

सत्यापन

मैं, _____ ,पैन _____ , एतद्वारा घोषित करता हूं कि उपर कहा गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि ऊपर भाग-ख में वर्णित आदेश के संबंध में कोई अपील फाइल नहीं की गई है। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि धारा 440(5) में विनिर्दिष्ट अवधि खत्म होने से पहले उक्त आदेश के संबंध में कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता में _____ के रूप में कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को फाइल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। यह आज _____20____ के _____ दिन सत्यापित किया गया।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर,

नाम

पदनाम (यदि लागू हो)

टिप्पण:

1. किसी व्यष्टिक की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका (vii) जिला (viii) राज्य शामिल होगा । पते में डीजीपिन भी अंतर्विष्ट हो सकता है।
3. क्रम सं.10 के अनुसार मांग के नोटिस के अनुसार संदाय के लिए देय तारीख के भीतर शास्ति के अधित्यजन के लिए कुल संदेय रकम ।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी, जहां तक संभव हो पूर्व रूप से भरी जाएगी।
5. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सभी रकम ₹ में देनी होगी।"

[अधि.सं.134/2026/फा. सं. 370142/33/2026-टीपीएल]

प्रेरणा, अवर सचिव

टिप्पण: आय-कर नियम ,2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में सा.का.नि. 198(अ), तारीख 20 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 830(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 871(E).— In exercise of the powers conferred by section 533 read with section 440 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 2026, namely: —

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 2026, –

(a) in rule 231, after the word "imposition", the words "or waiver" shall be inserted;

(b) for FORM NO. 161, the following Form shall be substituted, namely: –

"FORM NO. 161
[*See* rule 231]
Application for seeking waiver of penalty under section 440(2) of the Income-tax Act, 2025

Part A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number			
3.	Address		*(Refer Note 2)*	
4.	Contact details			
	(i)	Mobile Number	Country Code	Number
	(ii)	Email ID		
Part B: Details of assessment or reassessment order and payments				
5.	Tax Year			
6.	Section under which the order is passed			
7.	Document Identification Number (DIN) of the order			
8.	Date of the order		*dd/mm/yyyy*	
9.	Date of service of the order		*dd/mm/yyyy*	
10.	Due date for payment as per notice of demand		*dd/mm/yyyy*	
11.	Income assessed			
12.	Under-reported income			
	A.	In consequence of misreporting as per		
		(i) Section 439(11)(a) to (f)		
		(ii) Section 439(11)(g)		
	B.	Not in consequence of misreporting		
13.	Tax and interest payable on assessed income *(Refer computation sheet along with notice of demand)*			

14.	Tax payable on under-reported income (*Refer section 439(12) of the Act)*			
	(i)	On amount referred to in Sl.No 12(A)(i)		
	(ii)	On amount referred to in Sl.No 12(A)(ii)		
15.	Additional income-tax payable (in lieu of penalty)			
	(i)	100% of 14(i)		
	(ii)	120% of 14(ii)		
	(iii)	Total additional income-tax [(i)+(ii)]		
16.	Total amount payable for waiver of penalty [13+ 15(iii)] *(Refer section 440(1) of the Act)*			*(Refer Note 3)*
17.	Details of amounts paid			
	(A)	(i)	BSR Code	
		(ii)	Date of Deposit	*dd/mm/yyyy*
		(iii)	Serial Number of Challan	
		(iv)	Amount	
	(B)	(Repeat, if required)		

Verification

I, _____, PAN_____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. I further declare that no appeal has been filed in respect of the order mentioned in Part-B above. I also undertake that no appeal shall be filed in respect of the said order before the expiry of the period specified in section 440(5). I further declare that I am making this application in my capacity as _____ and I am also competent to file this application and verify it. Verified today the _____ day of _____20____.

Place……..

Date……

Signature

Name

Designation (if applicable)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, (viii) State. The address may also contain DIGIPIN.
3. Total amount payable for waiver of penalty within due date for payment as per notice of demand as per Sl.No 10.
4. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. All the amounts are to be provided in ₹, unless otherwise specified.".

[Notification No. 134/2026/F. No. 370142/33/2026-TPL]

PRERNA, Under Secy.

Note: The Income-tax Rules, 2026 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 198(E), dated the 20th March, 2026 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 830(E), dated the 22nd September, 2026.

SAG blog

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA